न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 17/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कमला देवी पत्नि विरदाराम जाति जाट निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	1.	नरपतसिंह पुत्र खीवसिंह राजपूत
2. इन्द्रा देवी पत्नि वचनाराम पंवार जाति घांची निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	2.	घेवरराम पुत्र नारायणलाल प्रजापत निवासीगण धुन्धला तहसील सोजत जिला पाली (राज0)

राजस्थान काश्तकारी (अभिवृति) अधिनियम, 1955 की धारा 251 क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.03.2018

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा सिसरवादा तहसील सोजत में खसरा नम्बर 517, 518 व 519 की खातेदारी प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 519 में जाने हेतु खसरा नम्बर 515 से 518 के बीच रास्ता है जो आज भी कायम है। जिसके संबंध में अप्रार्थी नरपतसिंह व घेवरराम ने सहमति भी लिखकर दी है। प्रार्थीगण के अनुसार इनके खेत में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त रास्ता ही एक मात्र रास्ता शुरू से ही रहा है। आवेदक ने उपरोक्त भूमि अप्रार्थी से ही करीब 2–3 पूर्व की खरीद की हुई है। तत्समय से ही संलग्न नक्शे में वर्णित रास्ते से ही आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आता–जाता रहा है। वर्तमान में हाल ही में दिनांक 26.10.2015 को रास्ते को बंद कर धोरा लगाकर तारबंदी करने की धमकी दी है, जिससे आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में काश्त नही कर सकता है और मौके पर आवेदक की खातेदारी भूमि में जाना मुश्किल हो गया है, जिससे फसल को नुकसान होगा। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर ख0नं0 517, 518 व 519 की खातेदारी भूमि में से ख0नं0 519 में आवागमन हेतु ख0नं0 515 से 518 के मध्य रास्ता, जो आज भी कायम है, भूमि दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिसेज डाक विभाग से अप्रार्थीगण के इनकार होने की तस्दीक के साथ लौटकर प्राप्त हुए है, सामिल मिसल है जिसे तामिल माना जाता है। बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहें है। तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाकर प्रार्थित रास्ते/ वैकल्पिक रासते की वस्तुस्थिति मय वर्तमान डी0एल0सी0 दर अनुसार रास्ते की भूमि के एवज मे देय प्रतिकर राशि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

की गणना रिपोर्ट मय मौके की वस्तुस्थिति पत्रांक/राज0/18/915 दिनॉक 03.03.2018 द्वारा अधिप्रमाणित सुदा पेश की गई, सा0मि0 हो। तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय मौके की वैकल्पिक/प्रार्थित रास्ते की वर्तमान वस्तुस्थिति प्रार्थित भूमि से निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ते की दूरी/स्थिति की बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षो पटवारी, भू0अ0 निरीक्षक संबधित को साथ मे रखते हुए मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा रास्ते में जाने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर की सूचना मय भूमि की कीमत की वास्तविक गणना पश्चात देय भूमि प्रतिकर राशि की सूचना सामिल मिसल की गई। तहसीलदार एवं पटवारी हल्का भैसाणा द्वारा प्रस्तुत मौका एवं प्रतिकर गणना रिपोर्टानुसार ग्राम सिसरवादा की जॉच रिपोर्ट अनुसार खातेदार कमला पत्नि विरदाराम जाट ख0नं0 519/1 रकबा 3.20 व इन्द्रा देवी पत्नि वचनाराम पंवार कौम घांची के ख0नं0 517/2, 518/2, 519/2 कुल 3 रकबा 3.22 में जाने हेतु रास्ता चाहा मौके पर ख0नं0 515 से 518 में से रास्ता 4 मीटर चौड़ा ख0नं0 515, 517 व 518 मे से खातेदार कमला के मौके पर खातेदारी भूमि 519/1 तक रास्ता 4 मीटर चौड़ा की पत्थरगढी हो रखी है। प्रस्तावित रास्ता में जाने वाली भूमि एवं भूमि प्रतिकर राशि का विवरण निम्नांकित दर्शाया है, प्रस्तावित किया गया है।

क्र0 सं0	नाम खातेदार मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	ख.नं. रकबा	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	डी0एल0 सी0 दर प्रति एयर	रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	हुकमसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत	515	4m. X112	0.0448 हैक्टर	2070	9273.60
2.	नरपतसिंह पुत्र खीमसिंह राजपूत घेवरराम पुत्र नारायणलाल कौम प्रजापत सा0 धुन्धला तह0 मारवाड़ जंक्शन खातेदार।	517	4m.X160 4X80 4X56	0.0640 0.0320 0.0224	2070	24508.80
3.	घेवरराम पुत्र नारायणलाल कौम प्रजापत सा0 धुन्धला खातेदार	518	4m.X20	0.0080	2070	1656.00
			योगः—	0.1712	—	35438.40

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थपत्र धारा 251 ए माफिक मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु ख0नं0 515 से 518 के बीच स्थित उक्त रास्ते की भूमि दिये जाने का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है, जिससे स्वीकार किये जाने एवं उक्त प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने हेतु आदेशित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यो की मौका रिपोर्टानुसार बखूबी संपुष्टि होती है। चॅकि यहां सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जहां कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता हैं, या किसी विध्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता हैं तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि :–" (i) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में आत्यांतिक आवश्यकता का है जो जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है तथा प्रार्थी की जोत में पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि 517, 518 व 519 में से 519 ख0नं0 में 518 से 519 के मध्य तारबन्दी किये गये रास्ते की निम्नांकित भूमि की प्रतिकर गणना की प्रस्तुत सूचना अनुसार राशि का भुगतान जरिए डी0डी0 किये जाने के आदेश दिया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को ख0नं0 515, 517 व 518 में सूची अनुसार वर्णित 517/1 तथा 0.1712 हैक्टर कुल भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद है। राजस्व नक्शा में तरमीम हेतु किया जाना उचित समझते है :–

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की सरहद मौजा–सिसरवादा तहसील–सोजत में स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 517, 518 व 519 में से 519 में आने जाने आवागमन हेतु ख0नं0 515 से 518 मध्य ख0नं0 517/1 तक आज भी कायमसुदा रास्ता (पत्थरगढी की गई है) माफिक मौका रिपोर्ट एवं दर्शित नजरी नक्शानुसार 4 मीटर चौड़ा रास्ते की भूमि 0.1712 हैक्टर भूमि का 2070/– प्रति एयर से 35,438/– रूपये का दोगुणा 70,876/– अक्षरे सतर हजार आठ सौ छियतर रूपये की राशि का भुगतान करवाये जाकर राजस्व रेकर्ड में तदानुसार अमल दरामद/वर्तमान राजस्व नक्शा (लट्ठा ट्रेस) में तरमीम रास्ता किये जाने के तहसीलदार, सोजत को मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार आदेशित किया जाता हैः–

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

क्र0 सं	नाम खातेदार मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	ख.नं. रकबा	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	डी0एल0सी0 दर प्रति एयर	रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत (दोगुणा)
1.	हुकमसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत	515	4m. X112	0.0448 हैक्टर	2070	18547.20
2.	नरपतसिंह पुत्र खीमसिंह राजपूत घेवरराम पुत्र नारायणलाल कौम प्रजापत सा0 धुन्धला तह0 मारवाड़ जंक्शन खातेदार।	517	4m.X160 4X80 4X56	0.0640 0.0320 0.0224 योगः– 0.1184	2070	49017.60
3.	घेवरराम पुत्र नारायणलाल कौम प्रजापत सा0 धुन्धला खातेदार	518	4m.X20	0.0080	2070	3312
			योगः–	0.1712	Total	70876.80

तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.